भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1221

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

शहरों में जल संरक्षण

1221. श्रीमती भावना गवली (पाटील):

श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर के शहरों, जहां पानी की कमी लगातार बढ़ रही है, में जल संरक्षण हेतु कोई नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र के उन शहरों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त सर्वेक्षण के अनुसार पानी की कमी लगातार बढ़ रही है;

(ङ) क्या सरकार लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु कोई कार्यक्रम चला रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): जल राज्य का विषय होने के कारण वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण के प्रयास मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। हालाँकि, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012), अन्य बातों के साथ-साथ जल के संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण की वकालत करती है और वर्षा जल संचयन, वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग और अन्य प्रबंधन के माध्यम से पानी की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देती है। पैमाने। राष्ट्रीय जल नीति (2012) को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रो और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अपनाने के लिए भेज दिया गया है।

(ग) और (घ): सीजीडब्ल्यूबी ने "भारत के चुनिंदा शहरों में भूजल की स्थिति" शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट शहर में संबंधित जल आपूर्ति विभाग से एकत्र की गई मांग और जल आपूर्ति की जानकारी प्रदान करती है और इन शहरों में भूजल स्थितियों का विश्लेषण भी करती है। हालांकि, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के शहरों को शमिल नहीं किया गया है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट का सारांश संलग्न है।

(ङ) और (च): जल शक्ति अभियान 2019 में देश के 256 पानी की कमी वाले जिलों के 2836 ब्लॉकों में से 1592 ब्लॉकों में आयोजित किया गया था और 2021 में "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) के रूप में इस देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए थीम "कैच द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" के साथ विस्तारित किया गया था। "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर)-2022 अभियान को, जेएसए की श्रृंखला में तृतीय, माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29.03.2022 को देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) में 29 मार्च, 2022 से 30 नवंबर, 2022 - प्री-मानसून और मानसून अवधि तक कार्यान्वयन के लिए लॉन्च किया गया था।

अभियान के केंद्रित कार्यकलापों में शामिल हैं (1) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन; (2) सभी जल निकायों की गणना, जल निकायो की भू-टैगिंग और उन्हें सूची बद करना; इसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना (4) सघन वनीकरण और (5) जन-जागरूकता लाना।

एनडब्ल्यूएम ने नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और इसके युवा क्लबों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए जेएसए: सीटीआर अभियान पर 623 जिलों में 31,150 गांवों को कवर करने के लिए जन-जागरूकता लाने के लिए युवा मामलों के विभाग के साथ करार किया। एनवाईकेएस द्वारा दिसंबर 2020 में शुरू किए गए जन-जागरूकता अभियान ने जेएसए: सीटीआर अभियान में लोगों की व्यापक भागीदारी की नींव रखी गई। एनवाईकेएस ने रैली, जल चौपाल, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, नारा लेखन प्रतियोगिताओं, दीवार लेखन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से अभियान में 36.60 लाख गतिविधियों में 3.82 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल किया है। नेहरू युवा केंद्र को शामिल करके देश के युवाओं की शक्ति का दोहन किया जा रहा है और (एनवाईकेएस) के द्वारा जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर जनता को संवेदनशील बनाया जा रहा है। देश में अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से एनवाईकेएस की भागीदारी को जेएसए: सीटीआर 2022 में विस्तारित किया गया है।

इसके अलावा, लोगों के बीच जल संरक्षण के संदेश को प्रसारित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। विभाग की सोशल मीडिया टीम नियमित रूप से जल संरक्षण के संबंध में सूचनात्मक पोस्ट बनाती है और विभाग के सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और KooApp पर मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं को उजागर करती है। इसके अलावा, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के साथ मंत्रालय की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रेस विज्ञप्ति भी नियमित रूप से साझा की जाती है।

*****

“शहरो मे जल संरक्षण” विषय पर 09.02.2023 को लोक सभा मे उत्तर के लिए अतांराकित प्रश्न संख्या 1212 के भाग (ग) तथा (घ) के संदर्भित अलग्नक’ ।

अनुलग्नक

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा "भारत के चुनिंदा शहरों में भूजल की स्थिति" शीर्षक वाली रिपोर्ट का सारांश:

1. विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार, 2011 की जनगणना की जनसंख्या के प्रक्षेपण और 135 से 155 एलपीसीडी के बीच प्रति व्यक्ति आवश्यकता के आधार पर पानी की मांग की गणना की गई है। जलापूर्ति या तो सतही जल से या भूजल से या दोनों संसाधनों से की जाती है।

2. वर्तमान में अजमेर शहर में केवल सतही जल स्रोतों से जलापूर्ति हो रही है। हालांकि, छह शहरों में पानी की आपूर्ति भविष्य में केवल सतही जल स्रोतों में स्थानांतरित की जाएगी। ये शहर अजमेर (वर्तमान में भी), गुरुग्राम (2028), इंदौर (2031), अमृतसर (2035), बीकानेर (2031), और हैदराबाद (2050) हैं।

3. वर्तमान में छह शहरों (अमृतसर, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, फरीदाबाद और यमुनानगर) में केवल भूजल से पानी की आपूर्ति की जाती है और भविष्य में केवल तीन शहरों में, भूजल स्रोतों (जालंधर, फरीदाबाद और यमुनानगर) से ही पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

4. बाकी शहरों में पानी की आपूर्ति सतही जल और भूजल दोनों स्रोतों से की जाती है।

5. जैसा कि जल आपूर्ति विभागों ने संकेत दिया है, 2021 में 14 शहरों (गांधीनगर, अंबाला, फरीदाबाद, यमुनानगर, इंदौर, रतलाम, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बीकानेर, चेन्नई, वेल्लोर, अजमेर तथा गाजियाबाद) में पानी की आपूर्ति और मांग में कोई अंतर नहीं है। 2041 तक भी 14 शहरों में कोई गैप नहीं होगा और 2021 में बिना गैप वाले अजमेर और गाजियाबाद को पानी की आपूर्ति में गैप का सामना करना पड़ेगा, जबकि पटियाला और हैदराबाद में सतही जल स्रोतों में वृद्धि के कारण कोई गैप नहीं होगा।

6. भूजल निष्कर्षण (एस ओ ई) का चरण 13 शहरों (दिल्ली (360%), फरीदाबाद (269%), गुरुग्राम (300%), बेंगलुरु (141%), अमृतसर(363%), जालंधर (472%), लुधियाना (290%), मोहाली (212%), पटियाला (312%), बीकानेर (239%), चेन्नई (100%), हैदराबाद (294%), गाजियाबाद (245%) %)) में 100% से अधिक (भूजल निष्कर्षण

वार्षिक पुनःपूर्ति से अधिक) जबकि यह 01 शहर(आगरा (93%) में 90 और 100% के बीच, 08 शहरों बीच (गांधीनगर (88%), अंबाला (72%), यमुनानगर (74%), इंदौर) (84%), रतलाम (77%), जैलसलमेर (74%), जयपुर (90%), जोधपुर (87%) में 70 और 90% के और 02 शहरों (अजमेर (33%), वेल्लोर (55%) में 70% से कम है ।

7. जिन शहरों में भविष्य के लिए भी पानी की आपूर्ति का एकमात्र स्रोत भूजल होने की परिकल्पना की गई है, वे पहले से ही गंभीर तनाव में हैं (जालंधर (SOE-472%), फरीदाबाद (269%) और यमुनानगर (74%) और संकटग्रस्त जलभृत को विनियमित करने के लिए जल आपूर्ति की वैकल्पिक स्रोत पहले से ही तत्काल आवश्यकता है।

8. अधिकांश क्षेत्रों में, जब भी, कमी होती है, लोग मांग को पूरा करने के लिए कुओं के माध्यम से भूजल निकालते हैं, लेकिन भूजल के आंकड़ों में इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। यह देश भर में कई स्थानों पर जल स्तर में गिरावट से भी परिलक्षित होता है।

9. भूजल पुन:पूर्ति योग्य संसाधन है और वर्षा और अन्य स्रोतों से पुनर्भरण के कारण हर साल भर जाता है।

10. कुछ शहरों में पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग शुरू किया जा चुका है और इसे सभी मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया जाना है ताकि मानव उपभोग के अलावा अन्य उपयोगों के लिए पुनर्चक्रित पानी की आपूर्ति के लिए एक प्रणाली बनाई जा सके और इसके साथ-साथ पुनर्चक्रित जल के उपयोग के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए आईईसी गतिविधियों का भी उपयोग किया जाए।

11. सतही और भूजल दोनों स्रोतों के प्रदूषण को कम करने के लिए सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तरल और ठोस कचरे के निपटान को अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक बनाया जाना चाहिए। सीईटीपी और एसटीपी को प्रभावी ढंग से क्रियाशील बनाया जाना चाहिए, जो देश भर में नदियों की सफाई में मदद करेगा।

12. वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और यह या तो पुनर्भरण के माध्यम से या संरक्षण के माध्यम से भूजल प्रणाली मे बढोतरी कर सकता है (जब भूजल के बजाय वर्षा का उपयोग किया जाता है-जल संरक्षण ही जल बचत है) लेकिन इसे तूफानी जल नालों के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

13. भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से तैयार किया गया है, जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न

भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करने वाली एक मैक्रो स्तरीय योजना है। मास्टर प्लान में देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है ताकि 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का दोहन किया जा सके। इसे भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 को कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो में परिचालित किया गया है और सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइट (http://cgwb.gov.in/Master%20Plan%20to%20GW%20Recharge%) 202020.pdf पर भी होस्ट किया गया है।

****